

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/3839

दिनांक 17/10/2025

उत्तवानी प्रकरण - गोहनलाल कनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या:- 217 /2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयानुगत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक 04/भूअ./2025 दिनांक 29/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम सुडीपानपुर पटवार हल्का सुडीपानपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 111, 124, 94 में खातेदार गोहनलाल सुडीपानपुर के स्थान पर गोहनलाल पुत्र सुडीपानपुर का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। पटवारी हल्का सुडीपानपुर उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/3840-41

दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का सुडीपानपुर तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

